न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :– 13/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/100

अनवान

1. मोहनलाल पिता घीसालाल खटीक निवारी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गोमा पिता रूपा रेगर निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
2. चोखा पिता रूपा रेगर निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
3. बालु पिता रूपा रेगर निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
4. खुमा पिता मियाराम भील निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत्)

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1, 2, 4 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः–25.08.2025

1. संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 285 में अंकित आराजी संख्या 330 रकबा 0.78 है0, आराजी संख्या 332 रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमब़जी का जवाव देते है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 20.05.2025 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2. प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1, 2, 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही दिनांक 28.07.2025 को अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 3 के विरूद्व प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है।

3. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 285 में अंकित आराजी संख्या 330 रकबा 0.78 है0, आराजी संख्या 332 रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2074–2077 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 285 में अंकित आराजी संख्या 330 रकबा 0.78 है0, आराजी संख्या 332 रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि स्थित हैं। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए वशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

(करूणा लाडोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :– 13/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/100

अनवान

1. मोहनलाल पिता घीसालाल खटीक निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गोमा पिता रूपा रेगर निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
2. चोखा पिता रूपा रेगर निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
3. बालु पिता रूपा रेगर निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसंमद
4. खुमा पिता मियाराम भील निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 05.08.2025 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 285 में अंकित आराजी संख्या 330 रकबा 0.78 है0, आराजी संख्या 332 रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि स्थित हैं।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा